Notice For Expression Of Interest

Subject:-Invitation for Empanelment of Hospitals in National Capital Region (NCR) with Greater Noida Industrial development Authority(GNIDA) on CGHS/AIIMS/SGPGI Rates.

The Greater Noida Industrial development Authority(GNIDA) invites reputed Hospitals in the National Capital Region(NCR) to submit their Expression of Interest(EOI) for Empanelment. The Empanelled Hospitals will provide medical services to the regular staff in accordance with the approved medical policy.

Details

Eligibility:-	Hospitals must be accredited and possess relevant certifications.
Rates:-	Empanelment will be based on CGHS/AIIMS/SGPGI Rates.
Documentation:-	Interested Hospitals must agree to the approved medical policy available on our official website.
Submision Deadline:-	23/10/2024

Please send your Expression of Interest(EOI) to e-mail (authority@gnida.in & hrd@gnida.in)

We look forward to your participation.

Thanks and Regards,

Pawan Kumar, Manager(HRD),

Greater Noida Industrial development Authority(GNIDA),

Plot No-01, Sector-Knowledge Park-04, Greater Noida City-201308,

District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.

Ph. No. 8800300036

Website: www.greaternoidaauthority.in

E-mail: authority@gnida.in & hrd@gnida.in

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, नोलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः–ग्रे0नो0 / कार्मिक / एम–109 / 2024 / 1048
दिनांकः 26 / 09 / 2024

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों(प्रतिनियुक्ति सहित) के स्वयं अथवा उनपर आश्रितों की चिकित्सा सुविधा हेतु पूर्व में जारी समस्त कार्यालय आदेशों को अवक्रमित किया जाता है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अस्पतालों को पैनल पर लिये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी हैः–

समिति की संस्तुतिः–

(क) समिति संस्तुति करती है कि सर्वोदय अस्पताल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा, दी होप अस्पताल, ग्रेटर नोएडा, शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा, आई0टी0एस0 डेन्टल अस्पताल, ग्रेटर नोएडा, सी0आर0एच0 ई0एन0टी0 एम0आर0आई0 डायगोंस्टिक अस्पताल, मोहन स्वरूप अस्पताल, न्युमेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा को सी0जी0एच0एस0 (C.G.H.S.) द्वारा निर्धारित दरों(ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0) पर प्राधिकरण के पैनल पर रख लिया जाए।

(ख) समिति संस्तुति करती है कि उपरोक्त कुल 07 अस्पतालों को प्राधिकरण के पैनल पर रखे जाने के साथ–साथ भविष्य में Empanelment हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को सी0जी0एच0एस0 (C.G.H.S.) द्वारा निर्धारित दरों पर ही Empanel पर प्राधिकरण में रखा जाए।

(ग) समिति संस्तुति करती है कि उपरोक्त संदर्भित 07 अस्पतालों द्वारा उनके अस्पताल में स्वयं के द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं का ही भुगतान प्राधिकरण सी0जी0एच0एस0 (C.G.H.S.) द्वारा निर्धारित दरों पर करेगा। बाहरी चिकित्सा सुविधाओं (जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है) हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा अपने स्तर से ही भुगतान संबंधित अस्पताल को किया जाएगा तथा उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिये दावा करता है तो संबंधित चिकित्सा / दवा बिलों का भुगतान राज्य व्यवस्था में प्रचलित व्यवस्थानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित समतुल्य चिकित्सा अधिकारी से परीक्षण कराकर नियमानुसार किया जाए। बिलों की दर सी0जी0एच0एस0(C.G.H.S.) / एस0जी0पी0जी0आई0(S.G.P.G.I.) / एम्स (A.I.I.M.S.) हो सकती है।

(घ) समिति संस्तुति करती है कि वर्तमान में जितने भी अस्पताल प्राधिकरण के पैनल पर है उनको इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि उनके द्वारा जो सेवायें वर्तमान में प्राधिकरण को दी जा रही है उन समस्त सेवाओं को वह सी0जी0एच0एस0 (C.G.H.S.) द्वारा निर्धारित दरों (ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0) पर प्राधिकरण को देने हेतु अपनी सहमति उपर्युक्त पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर दे दें अन्यथा की स्थिति में उनको प्राधिकरण के पैनल से हटाये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाए।

(ङ) समिति संस्तुति करती है कि यदि कोई कार्मिक अपने या अपने परिवार जो उनपर आश्रित है की प्राधिकरण के पैनल से बाहर के अस्पताल से चिकित्सा (ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0)

करवाता है अथवा दवाओं को खरीदकर उनकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिये दावा करता है तो संबंधित चिकित्सा/दवा बिलों का भुगतान राज्य व्यवस्था में प्रचलित व्यवस्थानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित समतुल्य चिकित्सा अधिकारी से परीक्षण कराकर नियमानुसार किया जाए।

(च) समिति संस्तुति करती है कि कार्मिक विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्मिक अपने या अपने परिवार जो उनपर आश्रित है के पक्ष में अस्पताल में भर्ती रहकर ईलाज कराये जाने की अनुमति दिये जाने के साथ-साथ अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त बिलों (ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0) का सत्यापन(संबंधित कार्मिक से भी कराकर) कर बिलों के भुगतान हेतु बिल कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को अग्रसारित किये जाए जिस हेतु कार्मिक विभाग में एक लेखाकार/सहायक लेखाकार को नामित किया जाए।

(छ) समिति संस्तुति करती है कि चिकित्सा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत चिकित्सा नियमावली में उल्लिखित परिवार/आश्रित की परिभाषा तथा संबंधित कार्मिक के मूल वेतन/ग्रेड-पे के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा जो भी तत्समय विद्यमान हो मान्य होगी।

(ज) समिति संस्तुति करती है कि वर्तमान में जब तक गठित समिति की संस्तुति अनुमोदित न हो जाए तब तक पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ही चिकित्सा बिलों का भुगतान नियमानुसार किया जाए। समिति की संस्तुति के अनुमोदनोपरान्त प्राधिकरण में चिकित्सा बिलों के भुगतान से संबंधित अपनायें जाने वाली वर्तमान व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए तद्नुसार ही संशोधन कर लिया जाए।

उपरोक्त समिति की संस्तुति को सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमोदनोपरान्त तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

भवदीया,

(श्रीलक्ष्मी वी0एस0)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(पी0/एल0/डी0/एस0के0) को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी(एस0एस0) को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक(वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त विशेष कार्याधिकारी( ) को सूचनार्थ।
6. डिप्टी कलेक्टर(कार्मिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त विभागाध्यक्ष( ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा एम्पलाईज एसोसिएशन।
10. नोटिस बोर्ड।
11. गार्ड फाईल।

26/9/24

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी